कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या : 1226 /8(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ दिनांकः 12–10–2020

अधिसूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जन से छूटी जनपद लखनऊ, तहसील लखनऊ के ग्राम मलेशेमऊ की 0.338 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 950/8(भू0अ0)/ न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ, दिनांक .04–6–2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दि0 15–06–2020 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दि0 04–09–2020 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हे समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला लखनऊ तहसील सदर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नही है। (अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जन से छूटी हुई ग्राम मलेशेमऊ की भूमि अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है)

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	मलेशेमऊ	173	0.3380
					0.3380

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(अभिषेक प्रकाश)
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।